महत्वूपर्ण/आवश्यक/फैक्स

19967-20009

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या :   /दस–लाइसेंस–360(2)/होलोग्राम/आदेश–निर्देश/2009–10/दिनांक : इला0, ~~फरवरी~~ मार्च 04 ,2010

प्रबन्धक,
समस्त पेय मदिरा आसवनियॉ/यवासवनियॉ, उ0प्र0।
विदेशी मदिरा/बियर व वाइन बाण्डधारक इकाईयॉ,उ0प्र0।

विषयः– वर्ष 2010–11 हेतु देशी/विदेशी मदिरा, बियर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय व ओवरसीज के सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति व 2010–11 हेतु मादक पेय की निकासी के सम्बन्ध में निर्देश।

वर्ष 2010–11 के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं कम तीव्रता के लिए मादक पेय तथा समुद्रपार से आयातित मदिरा की दिनांक 01.04.2010 को जनपदों के विभिन्न फुटकर अनुज्ञापनों पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निम्नानुसार निर्देश निर्गत किए जाते है :–

1– वर्ष 2010–11 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय तथा समुद्रपार से आयातित मदिरा की आपूर्ति दिनांक–**01–04–2010** से सुचारू रूप से कराने हेतु वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित सुरक्षा होलोग्रामों को दिनांक– **16–03–2010** से आयुक्तालय स्थित मेसर्स यूफ्लेक्स लि0 से निर्गत किये जायेगें। सम्पूर्ण प्रदेश में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय व समुद्रपार से आयातित मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करानें हेतु आप वर्ष 2010–11 के लिये नये सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त करने हेतु अपना मांगपत्र प्रभारी अधिकारी होलोग्राम को अविलम्ब प्रस्तुत कर दें और सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त करके उपयुक्त सुरक्षा होलोग्राम मदिरा की बोतलों पर लगाकर निकासी हेतु नया स्टाक तैयार करा लें। वर्ष 2009–10 के सुरक्षा होलोग्रामों की आपूर्ति दिनांक **25–03–2010** तक ही की जायेगी । अस्तु वर्ष 2009–10 में प्रयुक्त होने वाले सुरक्षा होलोग्रामों का आकलन करके वांछित मात्रा में दिनांक 25–03–2010 तक प्राप्त कर लें। दिनांक 25–03–2010 के बाद वर्ष 2009–10 हेतु सुरक्षा होलोग्राम निर्गत नहीं किए जायेंगे।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ष 2009–10 हेतु अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम लगी हुई बोतलों का विक्रय फुटकर अनुज्ञापनों से दिनांक– **31–03–2010** तक ही हो सकेगा। अस्तु वर्ष 2009–10 के सुरक्षा होलोग्राम लगी हुई देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं एल.ए.वी. तथा समुद्रपार से आयाति मदिरा की बोतलों की निकासी उपरोक्त इकाईयों से दिनांक– **28–03–2010** तक ही अनुमन्य होगी। दिनांक– **28.03.2010** की निकासी के बाद देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं एल.ए.वी. तथा समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा के स्टाक की गणना कराकर उनको एक अलग कक्ष में सुरक्षित रखा जायेगा और निम्न प्रारूप में सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक– **31–03–2010** तक फैक्स/विशेष वाहक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी :–

वर्ष 2009–10 में प्राप्त, प्रयुक्त व अवशेष सुरक्षा होलोग्रामों तथा सुरक्षा होलोग्राम युक्त बोतलों का विवरण

कमांक	मदिरा की श्रेणी एवं धारिता	आयुक्तालय से प्राप्त सुरक्षा होलोग्राम की संख्या	आसवनी में बोतलों/कैन्स में प्रयुक्त किये गये सुरक्षा होलोग्रामों की संख्या	अप्रयुक्त/ अवशेष सुरक्षा होलोग्रामों की संख्या (प्रभारी अधिकारी के पास)	अप्रयुक्त/ अवशेष सुरक्षा होलोग्रामों की संख्या (इकाई के पास)	होलोग्राम युक्त विक्रय की गई बोतलों की संख्या	दि0 28.3.2010 के बाद होलोग्राम युक्त अवशेष बोतलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
योगः–							

उपरोक्त सारणी के कालम संख्या–8 में दर्शित अवशेष स्टाक को एक अलग कक्ष में रखा जायेगा तथा इसका निस्तारण आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने के बाद किया जायेगा।

3– दिनांक 28–03–2010 की निकासी के बाद अवशेष/अप्रयुक्त सुरक्षा होलोग्रामों तथा सुरक्षा होलोग्रामों युक्त अवशेष बोतलों की गणना मदिरा की श्रेणी/ धारितावार सही ढंग से की जावे। प्रभारी अधिकारी, इकाई के पास अवशेष सुरक्षा होलोग्रामों को इकाई स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से अनुरक्षित करायेंगें और प्राधिकृत समिति की बैठक पर सत्यापनोपरान्त नियमानुसार विनष्ट कराने की कार्यवाही करेंगे।

4– वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के अवशेष सुरक्षा होलोग्रामों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि भविष्य में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि इकाईयों द्वारा वर्ष 2009–10 के होलोग्रामों का प्रयोग वर्ष 2010–11 में किया गया है, तो इसे गम्भीरता से लेते हुए इकाई एवं प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

5– जनपदों में स्थित सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों से फुटकर अनुज्ञापनों के लिये वर्ष 2009–10 हेतु देशी मदिरा की निकासी दिनांक– **29–03–2010** तक ही अनुमन्य होगी । दिनांक– **29–03–2010** के बाद जो भी देशी मदिरा अवशेष होगी उसकी घोषणा सम्बन्धित अनुज्ञापी द्वारा की जायेगी। ऐसे घोषित स्टाक का सत्यापन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सत्यापित अवशेष स्टाक की सूचना फैक्स के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक **31–03–2010** तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार अवशेष स्टाक आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त करके सम्बन्धित आसवनी वापस ले जाया जा सकेगा। यदि दिनांक– **31–03–2010** तक सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह समझा जायेगा कि सी0एल0–1सी पर वर्ष 2009–10 का स्टाक शून्य है।

6– वर्ष 2010–11 में प्रदेश के सभी अनुज्ञापन प्राप्त सी0एल0–1सी एवं एफ.एल.–2/2बी, बाण्ड धारक अनुज्ञापनों पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की उपलब्धता दिनांक **01–04–.2010** को सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2009–10 के सुरक्षा होलोग्रामयुक्त पेय मदिरा की आसवनियों/यवासवनियों/बाण्ड धारक इकाईयों से निकासी **25 मार्च .2010** से अनुमन्य की जाती है । तद्नुसार प्रभारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त इकाईयों के अनुरोध पर नियमानुसार वर्ष 2010–11 की निकासी दिनांक– **25–03–2010** से कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय तथा निर्धारित उक्त प्रारूप में वांछित सूचना प्रत्येक दशा में **31–3–2010** तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

04.3.10

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

20010-20227

संख्याः /दस–लाइसेंस–360/होलोग्राम/आदेश–निर्देश/2005–2006/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स/मुख्यालय/ई0आई0बी/टास्कफोर्स, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी, पेय मदिरा निर्माता आसवनियॉं/यवासवनियॉं एवं विदेशी मदिरा/बियर व वाइन बाण्डधारक इकाईयॉं, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा वांछित अवशेष स्टाक के संबंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक– 31.3.2010 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. मेसर्स यूफ्लेक्स लि0, ए–1 सेक्टर–60 नोएडा को निर्देश के साथ प्रेषित कि वर्ष 2010–11 हेतु सुरक्षा होलोग्रामों की तैयारी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि दिनांक–16–03–2010 से सुरक्षा होलोग्राम की निकासी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी आबकारी निरीक्षक, मेसर्स यूफ्लेक्स लि0, ए–1 सेक्टर–60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
10. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

04.3.10

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।